

25/11/98

27/11/98

Request-123

19932

Reg No. 2561
File No. 2561
Serial No. 28

1-2-98

59/2-12-98

D.R. (M)

for information

May file?

AK Srivastava

7-12-98

प्रेम्क,

कालीचरन,
सिविल जज 8 जू0डि08,
पौडी, गढ़वाल ।

सेवा में,

माननीय निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

द्वारा:- माननीय जन्मद न्यायाधीश, पौडी, गढ़वाल ।

माननीय महोदय,

1451
S.O. Admn. A-1/H

D.R. (M)

26.11.98

निवेदन है कि मुझे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा
मु. 80,000/- रुपये 8 अस्सी हजार रुपये मात्र 8 कार क्रय करने के लिए
दिये गये थे । मेने उक्त अग्रिम मु. 80,000/- रुपये तथा अपने धेन
के पैसे मिलाकर मु. 1,2,000/- रुपये 8 एक लाख दो हजार रुपये मात्र
में मारुति कार जिसका पंजीयन संख्या- यू.पी. 10ए-7080, माडल-1994
है, क्रय कर लो है तथा फार्म नम्बर-25 व 25ए विस्तार्य हस्त पुस्तिका
छण्ड 1x भाग -1 के तहत भरकर माननीय उच्च न्यायालय को भेजा
जा चुका है।

अतः कार क्रय करने को सूचना माननीय महोदय
की सेवा में प्रस्तुत है ।

सादर ।

D.R. (M)

दिनांक: नवम्बर 5, 1998

भवदीय,

8 कालीचरन 8
सिविल जज 8 जूनियर डिवाजन 8,
पौडी, गढ़वाल ।
दि. 5-11-1998

26 NOV 1998

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PAURI GARHWAL.

No. 620/P.f. dated Pauri Nov. 6, 1998.

Forwarded to the Registrar, Hon'ble High Court of
Judicature at Allahabad.

6-11-98
District Judge
Pauri Garhwal.

B.S.G.
2/11/98

19/11/98

23-11-98

Request-123

Reg No 14827
File No 2561
Serial No 52
26-11-98

प्रेषक,

कालीचरन,
सिविल जज & कनिष्ठ श्रेणी,
पौड़ी, गढ़वाल।

सेवा में,

माननीय निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

द्वारा:-

माननीय जन्मद न्यायाधीश, पौड़ी, गढ़वाल।

विषय:-

अग्रिम से मोटर कार क्रय किये जाने के उपरान्त
अनुबन्ध पत्र फार्म नम्बर 25 भेजे जाने विषयक।

माननीय महोदय,

निवेदन है कि मुझे आपके पत्र संख्या--x1-2561 प्रमाणित
करण के द्वारा कार खरीदने के लिए रु. 80,000/- रुपये अस्सी हजार
रुपये मात्र अग्रिम स्वीकृत हुआ था। मैंने उक्त अग्रिम तथा अपने
वेतन के पैसे को मिलाकर एक मारुति कार पंजीयन संख्या-यू.पो. 10ए-
7080 क्रय कर ली है। आपके निर्देशानुसार दो प्रतियों में
मैं बन्धक पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका के खण्ड x1 पैरा-245-एन 3
के तहत फार्म नम्बर 25 दो प्रतियों में भरकर इस पत्र के साथ
संलग्न कर प्रेषित कर रहा हूँ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि बन्धक पत्र
फार्म नम्बर-25 स्वीकृत करने की कृपा की जाये।

सादर।

भवदीय,
कालीचरन 3/11/98

सिविल जज & जोडो,
पौड़ी, गढ़वाल।

दि: 3-11-98

संलग्नक: उपरोक्तानुसार
फार्म नं. 25
दो प्रतियों में।

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PAURI GARHWAL.
No. 618 / p.f. dated Pauri Nov. 5, 1998.

Forwarded to the Registrar, High Court of Judicature
at Allahabad.

District Judge
Pauri Garhwal.

D.R.(M)
for information.
May file?
AK-Srivastava
28.11.98

R Kumar
28/11/98
S.O. ACPA
File

1362
S.O. Adm A-1/4

D.R.(M)
21.11.98

20 NOV 1998

LAICT
Re
28/11

प्रास्य संख्या-25
४ अध्याय x1 पैरा-245-एन४3४४

Request-123

मोटर कार, साइकिल, स्कूटर अग्रिमि के बन्धक विलेख का प्रास्य

एक भाग के रूप में तन् 1998 माह जवम्बर दिन 3
को एतस्मिन् परचाव कहे जाने वाले ऋणी श्री काली-चरन
पुत्रश्री कुँवर सेन स्थाई निवासी ग्राम-हरदु का तहसील व-
थाना जवाकाऊ पोस्ट-जवाकाऊ जिला-बरेली
अस्थाई पता एवं पद नाम - सिविल जज (जु.डि.) लखनऊ-पौड़ी गढ़वाल

तथा अन्य भाग के रूप में उ०प्र० के गवर्नर एतस्मिन् परचाव गवर्नर
कहलाने वाले ४ के मध्य अनुबन्ध होता है।

आवेदित काली-चरन पुत्रश्री कुँवर सेन
ऋणी को कार क्रय करने के लिए रुपये 80,000/-
की अग्रिम धनरारि। उत्तर प्रदेश के गवर्नर के खांता न्यमावली
में पैरा 245/246 की शर्तों पर इसमें इसके परचाव जैसा कथित नियमों
को निर्दिष्ट है कोई सहायन या सम-सम्य पर प्रवर्तनीय उसकी घटत
बढत सम्मिलित होगी ४ अनुदत्त की जाती है।

तथा यतः उन शर्तों में से एक के आधार पर जिस पर, कथित
अग्रिमि ऋणी की अनुदत्त की गई / की गई थी
ऋण दाता के कथित बर्चन पत्र पर की जायेगी कार के लिए
उधारी के रूप में दी रारिा के लिए गवर्नर प्रतिभूति के रूप में होये तथा
ऋणी व्यक्ति इस तरह से अग्रिमि की रारिा के साथ या इसके भागतः
यथा पूर्वोक्त कार क्रय करेगे, वह कार की विरिष्टियां इसके
अधीन अनुसूची, लिखी तथा स्पेक्षित की जाये।

अब यह अनुबन्ध साक्षीकृत किया जाता है कि कथित करार के
अनुसरण में तथा ऋणी के उपरोक्त प्रतिफल के परिणाम स्वल्प इतद्वारा
या अनुबन्ध किया जाता है कि गवर्नर रुपये 80,000/- (अस्सी हजार)
की रारिा प्रत्येक माह के प्रथम दिनांक पर रुपये 830/- (आठ सौ तीस)
के बराबर भुगतान द्वारा देंगे तथा बकाया देय पर की रारिा से, कथित
नियमों के तदनुसार जोड़ा गया ब्याज भुगतान होगा तथा ऋणी इस
बात के लिए सहमत है कि ऐसा भुगतान कथित नियमों द्वारा विहित
रीति से उसके मासिक वेतन की कटौती से वसूला जायेगा, तथा आगे
कथित करार के अनुसरण में ऋणी उसके द्वारा कार
को गवर्नर को हस्तान्तरित करता है, जहां कि विरिष्टियां इसकी अनुसूची
में दी गई हों, कथित अग्रिमियों तथा उसके ब्याज को जैसा कथित नियम
द्वारा अपेक्षित हो प्रतिभू की रीति द्वारा लिखा जाये।

तथा ऋणी इसके द्वारा इस बात की सहमति तथा घोषणा
करता है कि उसने कथित कार के पूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान
करेगा तथा उसी के बराबर पूर्ण सम्पत्ति अवशिष्ट सम्पत्ति के पुर्नभुगतान
में विलम्ब होने की दशा में कथित कार के कबले के बाबत
एक सम्पत्ति गवर्नर के पक्ष में गिरवी रखा है।

परन्तु सदैव इसके द्वारा यह घोषणा तथा सहमति होती है कि
यदि मूल या ब्याज का कथित किस्तों में भुगतान नहीं किया जाता है या

(Kali Charan)

उपरोक्त विहित रीति में बकाया देय होने पर दस दिन के भीतर वसूला नहीं जाता या सेवा समाप्ति के पूर्व किसी भी समय ऋणी मर जाता है या वह गिरवी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बेच देता या कथित कार के कब्जे को बेच देता है या अपने ऋण दफता के अनुबन्ध में राशियाँ क्षमनीय हो जाता है या कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही के तहत न्यायालय निर्णय द्वारा भुगतान न किये गये अवशिष्ट बकाये को सब्याज निष्पादित करा लेता है तो उपरोक्त भुगतान न की गई राशि तथा उसके ब्याज का तुरन्त भुगतान कराया जायेगा तथा इसके द्वारा यह सहमति तथा घोषणा हुई है कि इसमें इसके पूर्व दी गई किसी भी घटना के घटित होने पर गवर्नर जब्ती करके कथित कार का को कब्जे में ले लेगी या बिना हटाये हुए उसे अवशिष्टता उसके कब्जे में बनाये रखेगी या उसे हटाकर कथित कार निजी स्विकदा या लोक नीलामी द्वारा बेच देगी तथा धारित विक्रय धन में से भुगतान न किया गया अवशिष्ट तथा उस पर जोड़े ब्याज तथा विक्रय के निष्पादन में किये गये खर्च या इसके अधीन वसूली या प्रतिरक्षा में नियत खर्च को उससे भुगतान करेगी तथा भुगतान निःशेष यदि कोई हो तो ऋणी उसके निष्पादक प्रशासक या निजी प्रतिनिधि को वापस कर देगी वरन् कि आगे कथित कार का कब्जा तथा विक्रय सम्बन्धी गवर्नर की यह शक्ति गवर्नर पर इस बात को प्रभावित नहीं कोई ऋणी या उसके द्वारा किसी प्रतिनिधियों को कथित कार का लघु विक्रय के आधार पर किये गये विक्रय की दशा में वाद दायर करने से रोके, तथा ऋणी इसके द्वारा आगे इस बात के लिए सहमत है, गवर्नर को देय धन या अवशिष्ट बकाया इस तरह से लंबा होने पर ऋणी बीमा करायेगा तथा कथित कार को उ०प्र० के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित बीमा कम्पनी के साथ भुगने, चोरी या दुर्घटना द्वारा क्षति के आधार पर बीमा करेगा तथा उसे महालेखाकार की संतुष्टि हेतु इस बात के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा कि मोटर बीमा कम्पनी की कथित कार की बीमाकर्ता है सूचना प्राप्त की है गवर्नर पालीसी में हितबद्ध है तथा ऋणी इसके द्वारा पुनः इस बात के लिए सहमत है कि वह इस बात के लिए अनुमत नहीं होगा कि वह बड़ी मात्रा में हुई घराबी से भिन्न युक्तिसंगत रूप में कथित कार की सभी क्षतियों को दावाजनित बनाए तथा आगे यह कि व्यक्ति कथित कार को दुर्घटना या क्षति की घटना में वह तुरन्त उसकी मरोम्मत करवायेगा तथा अच्छी हालत में लाएगा तथा ऋणी इसके द्वारा इस बात की सहमति तथा उद्घोषणा करता है कि गवर्नर राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो कि ऋणी पर अंतिम निर्णायक तथा मध्यकारी होगा। इसके अधीन सभी देय की वसूली बकाया राजस्व के रूप में कर सकेंगे।

 (Kali Charan)

Request-123

यहाँ कथित साक्षीकरण
में ऋणी ऋ इसको अपने हाथ से वर्ष 1998 दिन 3 माह नवम्बर
को उपरोक्त प्रथम लेख लिखा ।

अनुसूची

कार का विवरण

निर्माण कर्ता का नाम आरुण उद्योग लिमिटेड
लागत मूल्य 1,02,000/- (एक लाख दो हजार)
वर्णन

सीलेन्डरों की संख्या- 3
पंजीयन संख्या- U.P-10A/7080
इंजन संख्या- 965014
चैसिस नम्बर- 642494

ऋणी द्वारा हस्ताक्षरित ,

and

दो साक्षी :-

Kali Charan
सिक्सिज (बवर बर)
श्री (महपाल)

॥1॥ नाम - *Charan Lal*
पता सीडर, न्यायिक राजिठ पौडी रोड

॥2॥ नाम - *असुपीन कुमाल*
पता - वाघ विपिठ न्यायिक राजिठ, प्रख्यात श्रीपी,
आमलिय पौडी

मोटर कार, साइकिल, लूटर अग्निके व अन्य विषय का प्राप्य

एक भाग के रूप में सन् 1998 तारखतक दिन 3
को हुएता सन् परवाच कहे जाने वाले कृणों श्री काली-चर
पुत्री कुवर तेन स्थई निवासो ग्राह - ह्यूयु का तहसीलक
-धाना नवानगंज पोस्ट नवानगंज जिला- बरेली
इत्याई पता स्व पद नाम - लिक्विड तज (प्रवर्ष), जनपद- पीली गढ़वाल

तथा अन्य भाग के रूप में उOप्रO के गवर्नर हुएता सन् परवाच गवर्नर
कहलाने वाले के मध्य अनुबन्ध होता है ।

आवेदित काली-चर श्री कुवर तेन
कृणों को कार

प्रय करने के लिए रुपये 8,000/-

कारागिरम धनराशि उत्तर प्रदेश के गवर्नर के आदेशानुसार
में पैरा 245/246 का शर्तों पर इसमें इसके अन्तर्गत कथित नियमों
को निर्दिष्ट है कोई शर्तान या का-सम्बन्ध पर प्रवर्तनाय उक्त घटत
व्यत सम्बन्धित लोगो के अनुबन्ध का ज्ञाता है ।

तथा यतः उन शर्तों में से एक के आधार पर जिस पर कथित
अग्निके कृणों का अनुबन्ध का गइ / को गइ श्री
कृण दाता के कथित ज्वन पत्र पर का जायेगा कार के लिए
उधारा के रूप में दो शर्तों के लिए गवर्नर प्रातिभूति के रूप में होमे तथा
कृणों कथित इस तरह से अग्निके का शर्तों के साथ या इसके भागतः
व्यत पूर्वोक्त कार प्रय करेगे, वहा जाने विनियम इसके
अधान अनुबन्धों तिमो तथा श्रेष्ठो को जाये ।

अतः यह अनुबन्ध साक्षीकृत किया जाता है कि कथित करार के
अनुसरण में तथा कृणों के उपरोक्त प्रतिफल के परिणाम स्वयं इतद्वारा
का अनुबन्ध किया जाता है कि गवर्नर रुपये 80,000/- (अस्सी हजार केवल)
को शर्तों प्रत्येक मास के प्रथम दिनांक पर रुपये 830/- (आठ सौ तीस)
के बराबर भुगतान द्वारा देमे तथा बकाया देय पर का शर्तों से, कथित
नियमों के तदनुसार जोडा गया ब्याज भुगतान होगा तथा श्री इस
बात के लिए सहमत है कि ऐसा भुगतान कथित नियमों द्वारा विहित
शर्तों के उसके आर्थिक धेतन को कटौती से प्रस्ता जायेगा, तथा आगे
कथित करार के अनुसरण में कृणों उसी द्वारा कर
को गवर्नर को अस्तान्तरित करता है, जहां कि शर्तों विनियम इसको अनुबन्धों
में दो गइ हों, कथित अग्निके तथा उसके ब्याज को जैसा कथित नियम
द्वारा अर्थिक ही शर्तों को शर्तों द्वारा लिखा जाये ।

तथा कृणों इसके द्वारा इस बात को सहमति तथा घोषणा
करता है कि उसने कथित करार के पूर्ण प्रय मुख्य का भुगतान
करेगा तथा उसी के बराबर पूर्ण सम्पत्ति अवरिष्ट सम्पत्ति के पुर्नभुगतान
में विनियम होने का वारा में कथित करार के कर्तव्य के बावत
एक सम्पत्ति गवर्नर के पक्ष में गिरवी रक्ता है ।

परन्तु सदैव इसके द्वारा यह घोषणा तथा सहमति होती है कि
यदि मूल या ब्याज का कथित कर्तव्य में भुगतान नवा किया जाता है या
aut (Kali charan)

उपरोक्त विहित रीति में बकाया देय होने पर दस दिन के भीतर बकाया
 नहीं जाता या सेवा समाप्त के पूर्व बिना का समय पूर्ण न
 जाता है या वह गिरवी सम्पत्ति या उसके किसी भाग को बेच देता
 या कथित कार के कब्जे को बेच देता है या अपने
 पुण्य दाता के अनुपस्थिति में कोई कर्मनाम हो जाता है या कोई
 व्यक्ति उसके विक्रय को गई कार्यवाही के तहत न्यायालय निर्णय द्वारा
 भुगतान न किये गये अवशिष्ट बकाये को सच्चा निःपादित करा जाता
 है जो उपरोक्त भुगतान न की गई राशि तथा उसके व्याज का तुरन्त
 भुगतान कराया जायेगा तथा इसके द्वारा यह सहमति तथा घोषणा हुई
 है कि इसमें इसके पूर्व दा गई किसी भी धन के धटित होने पर
 गवर्नर जब्त करे कथित कार का को कब्जे में ले लेगी
 या बिना हटाये हुए उसे अवशिष्टता उरो कये में बनाये रखे या
 उसे हटाकर कथित कार निजा-सिद्धा या लोक नोलासी
 द्वारा बेच देगी तथा धारित विक्रय धन में से भुगतान न किया गया
 अवशिष्ट तथा उस पर जोड़े व्याज तथा विक्रय के निष्पादन में किये गये
 खर्चे या इसके अधीन वसूली या प्रतिरक्षा में निच्यत खर्च को उससे भुगतान
 करेगी तथा भुगतान निःशेष यदि कोई हो तो पूर्ण उसके निष्पादक
 प्रशासक या निजी प्रतिनिधित्व को आपस कर देगी करते कि बागे
 कथित कार का कब्जा तथा विक्रय सम्बन्धी गवर्नर
 को यह शक्ति गवर्नर पर इस बात को प्रभावित नहीं कोई पूर्ण या
 उसके शर्तियों प्रतिक्रियाओं को कथित कार का लघु
 विक्रय के आधार पर किये गये विक्रय का परा में प्राद दायर करने से
 रोके तथा पूर्ण इसके द्वारा बागे इस बात के लिए सहमत है, गवर्नर को
 देय धन या अवशिष्ट बकाया इस तरह से देया होने पर पूर्ण
 बीना करायेंगा तथा कथित कार को उ०प्र० के महासेवाकार
 द्वारा अनुमोदित बीना कर्मियों के साथ भाने, धीरो या दुर्घटना
 द्वारा क्षति के आधार पर बीमाकर रहेगा तथा उसे महासेवाकार
 को संशुद्ध हेतु इस बात के लिए साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करेगा कि मोटर
 बीना कर्मियों का कथित कार को बीमाकर्ता है सूचना
 प्राप्त की है गवर्नर पालीसी में हिस्सा है तथा पूर्ण इसके द्वारा पुनः
 इस बात के लिए सहमत है कि यह इस बात के लिए अनुमत नहीं होगा कि वह
 कहीं ना कहीं हुई करावी से भिन्न व्यक्तिगत रूप में कथित कार
 का सभा क्षतियों को दावाजनित बनाए तथा बागे यह कि व्यक्ति
कार को दुर्घटना या क्षति को घटना में वह तुरन्त उसकी
 प्रतिक्रिया करवायेगा तथा क्षति हाजत में लाएगा तथा पूर्ण इसके द्वारा
 इस बात को सहमति तथा उद्घोषणा करता है कि गवर्नर राज्य
 सरकार के प्रशासन विभाग के सचिव के प्रमाण-पत्र पर जो कि पूर्ण
 पर अंतिम निष्पादक तथा मध्यकारा होगा इसके अधीन सभा देय को
 कूलो बकाया राजस्व के रूप में कर सहेगी ।

(Kali Charan)

Request-123

यहां कथित साक्ष्यीकरण
में कृपया 8 हफ्तों अपने हाथ से वर्ष 1998 दिन 3 माह नवम्बर
की उपरोक्त प्रथम पेश निवा ।

अनुषाची

किस का निवेदन

निवाण कर्ता का नाम आशुतोष इन्दोरा जिजिटेड
नागत मूल्य 1,0,200/-
वर्ष

सोनेन्दरो की संख्या- 3
पंजीयन संख्या- U.P.10A/7080
ईमेल संख्या- 965014
वेरिफिकेशन नम्बर- 642494

आशुतोष इन्दोरा द्वारा

amb

दो साक्षी :-

Chandrasekhar

Kali Charan
मिर्जापुर जज (अवर क्लास)
मिर्जापुर (मद्रास)

1. नाम - चन्द्रसेखर
पता 1152 - न्यायिक मंडल पोस्ट

श्याम सुन्दर

2. नाम - एसपीएच सुमन, वाय लिपिक
पता न्यायिक न्यायिक मिर्जापुर
सुमन ज्योती पीठ

02
5/11/98

6-11-98

18277
No. IV/2561
Serial No. 80
10-11-98

2 Serials

D.R.(M)
For information,
May file?
Dr. T. S. Verma
12.11.98
R. K. Verma
14.11.98

S.O. AdAI
File
Ry
13/11

(1103)
S.O. AdAI-1/H
Ry
D.R.(M)
5.11.98

प्रेषक,

श्री कालीचरन,
सिविल जज(कनिष्ठ श्रेणी),
पौड़ी (गढ़वाल)।

59
11-11-98

सेवा में,

उप निबन्धक
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

Report-123

द्वारा:-जनपद न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल।
पत्रांक:- /1998:दिनांक:पौड़ी:अक्टूबर27, 1998.

विषय:- मोटर कार अग्रिम के आहरण की सूचना के सन्दर्भ में।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे आपके पत्र संख्या निल/1 -2561-प्रशा0(ए) के द्वारा रू0 80,000/= कार लेने के लिए अग्रिम धनराशि स्वीकृत हुई थी, जो मैंने कोषागार कार्यालय, पौड़ी गढ़वाल से दिनांक .10.1998 को आहरित कर ली है, जिसका वाउचर नम्बर 1 दिनांक 12.10.1998 है। अग्रिम आहरित करने की सूचना ए0जी0यू0पी0, इलाहाबाद को भी आपके निर्देशानुसार भेज दी गयी है।

सूचना सेवा में प्रेषित।

भवदीय,

कालीचरन
सिविल जज(कनिष्ठ श्रेणी),
पौड़ी(गढ़वाल)।
27.10.1998.

DR(M)

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PAURI GARHWAL.

05 NOV 1998 No. 606 / p.f. dated Pauri Oct. 29, 1998.

Forwarded to the Registrar Hon'ble High Court of
Judicature at Allahabad.

District Judge
Pauri Garhwal.

DR(M)
14/11

31/11/98

8-11-98

Reg No 18282
File No IV/2561
Serial No 51
10-11-98

प्रेषक,

श्री कालीचरन,
सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी),
पौड़ी (गढ़वाल) ।

D.R.(m)
For information.
May file?
di. Jaiswal
12.11.98
Kumar
12/11/98

सेवा में,

निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

Request-123

द्वारा:-

जनपद न्यायाधीश, पौड़ी गढ़वाल ।

पत्रांक:-

/1998:दिनांक:पौड़ी:अक्टूबर27,1998.

विषय:-

कार अग्रिम को आहरित करने से पूर्व फार्म 25-ए भेजने के संबंध में।

महोदय,

निवेदन है कि मुझे माननीय महोदय के पत्र संख्या निल/1-2561/प्रशा0(ए) के द्वारा रू0 80,000/- कार अग्रिम स्वीकृत किया गया था । माननीय महोदय के निर्देशानुसार मैं वित्तीय हस्त पुस्तिका वाल्यूम-5 भाग-2 के लिये फार्म 25-ए भरकर इस पत्र के साथ दो प्रतियों में भेज रहा हूँ ।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि फार्म 25-ए स्वीकृत करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें ।

सादर ।

भवदीय,

संलग्न:- ✓ फार्म 25-ए,
दो प्रतियों में ।

auri
श्री कालीचरन (27/11)
सिविल जज (कनिष्ठ श्रेणी),
पौड़ी (गढ़वाल) ।
27.10.1998.

OFFICE OF THE DISTRICT JUDGE PAURI GARHWAL.
No. 607 / plf. dated Pauri Oct. 29, 1998.

Forwarded to the Registrar, Hon'ble High Court
of Judicature at Allahabad.

Sharma
District Judge
Pauri Garhwal.

(U)
D.R.(M)
Da

0 5 NOV 1998

Request-123

AN AGREEMENT ^{Tract 4/11} ~~12/11/98~~ ^{order 12/11/98} DAY OF October

One Thousand Nine Hundred and Ninety Eight corresponding to Saka Samvat BETWEEN SRI KALI CHARAN son of Sri Kunwar Sen resident of V. Hardua, Post. Nawal-gaj, District ^{Buxilly} (Designation) civil judge (J.D.) Pauri (hereinafter called 'the Borrower which expression shall include his legal representatives and assignees) of the part and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'The Governor) of the other part whereas the Borrower has under the provisions of the Account Rules of the Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the said Rules which expression shall include any amendments thereof for the time being in force applied to the Governor for a loan of Rs. 80,000/- (Rupees Eighty thousands only) for the purchase of a Motor Car and the Governor has agreed to lend the said amount to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in consideration of the sum of Rs. 80,000/- paid by the Governor to the Borrower (the receipt of which the Borrower hereby acknowledges). The Borrower hereby agrees with the Governor (1) to pay the Governor the said amount with interest calculated according to the said Rules by monthly deductions from his salary as provided for by the said Rules and hereby authorizes the Governor to make such deductions and (2) with in one month from the date of these present to expend the full amount of the said loan in the purchase of a Motor, Car or if the actual price paid is less than the loan to repay the difference to the Governor forth with and (3) to execute a document hypothecating the said Motor Car to the Governor as security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and interest in the form provided by the said Rules AND IT IS HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT if the Motor Car has not been purchased and hypothecated as aforesaid within one month from the date of these presents or if the Borrower within that period becomes insolvent or quits the service or dies the whole amount of the loan and interest occurred thereon shall immediately become due and payable and the Borrower doth hereby agree and declare that the Governor may, on the certificate of the Secretary to the State Government in the Administrative Department, which shall be final conclusive and binding on the Borrower, recover all dues hereunder as arrears of the land revenue.

order
(Kali Charan)
जिला न्यायाधीश (अवर मजिस्ट्रेट) 2/11/1998
(मदनाल)

.....2

Request-123

AN AGREEMENT

Twelfth (12th) ^{month}

12/10/98

DAY OF October

One Thousand Nine Hundred and Ninety eight corresponding to Saka
 Samvat BETWEEN SRI KALI CHARAN son of Sri Kunwar Sen
 resident of V. Hardua Post Nawabganj ^{Baniffy} (Designation) Civil Judge (D) Pauri
 (hereinafter called 'the Borrower which expression shall
 include his legal representatives and assignees) of the part
 and the Governor of Uttar Pradesh (hereinafter called 'The
 Governor) of the other part whereas the Borrower has under the
 provisions of the Account Rules of the Government of Uttar
 Pradesh (hereinafter referred to as the said Rules which
 expression shall include any amendments thereof for the time
 being in force applied to the Governor for a loan of Rs. 80,000/-
 (Rupees Eighty thousands only) for the purchase of a
 Motor Car and the Governor has agreed to lend the said amount
 to the Borrower on the terms and conditions hereinafter contained:
 NOW IT IS HEREBY AGREED between the parties hereto that in
 consideration of the sum of Rs. - 80,000/- paid by the
 Governor to the Borrower (the receipt of which the Borrower
 hereby acknowledges), The Borrower hereby agrees with the
 Governor (1) to pay the Governor the said amount with interest
 calculated according to the said Rules by monthly deductions
 from his salary as provided for by the said Rules and hereby
 authorizes the Governor to make such deductions and (2) with
 in one month from the date of these presents to expend the
 full amount of the said loan in the purchase of a Motor Car of
 if the actual price paid is less than the loan to repay the
 difference to the Governor forth with and (3) to execute a
 document hypothecating the said Motor Car to the Governor as
 security for the amount lent to the Borrower as aforesaid and
 interest in the form provided by the said Rules AND IT IS
 HEREBY LASTLY AGREED AND DECLARED THAT if the Motor Car has
 not been purchased and hypothecated as aforesaid within one
 month from the date of these presents or if the Borrower
 within that period becomes insolvent or quits the service or
 dies the whole amount of the loan and interest occurred
 thereon shall immediately become due and payable and the
 Borrower doth hereby agree and declare that the Governor may,
 on the certificate of the secretary to the State Government
 in the Administrative Department, which shall be final
 conclusive and binding on the Borrower, recover all dues
 hereunder as arrears of the land revenue.

culh
 (Kali Charan)

12/10/98

.....2

Report-123

In WITNESS whereof the Borrower has hereunto set his hand the day and year first before written.

signed by the said

and
(Kali Charan)
दिवादात घाज (अवत १२१०/१९९८)
सीई (महामाल)

In the presence of

24
In the presence of *(Sadar Munsarim)*
~~Sadar Munsarim~~
District Judge's *(O.P. Nawani)*
2 *(O.P. Nawani)*
Tinal Clerk

(Correction slip No.555, dated March 29, 1978) (Vitta (Lekha) Anubhag-II File No. 10(17)-75).

.....

Request-123

In WITNESS whereof the Borrower has hereunto set his hand
the day and year first before written.

signed by the said

[Signature]

(kali charan)

12/10/98

[Stamp]

In the presence of

1 [Signature] (C. Manoj Singh) [Stamp]

Sadar Munsif

District Judge: [Signature]

2 [Signature] (O.P. Nayoni)

(Dated Clerk)

(Correction slip No.555, dated March 29,
1978) (Vitta (Lekha) Anubhag-II File No.
10(17)-75).

.....